न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

मु.नं:–4/2021

द्वारकाप्रसाद पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी न्यू पारीक कॉलोनी लांडनूं तहसील लांडनूं जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमसुख पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू
2. ग्राम पंचायत कल्याणसर जरीये सरपंच कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.....रेस्पोडेन्ट

4. बालचन्द पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी भूतोडीया गर्ल्स स्कुल के पिछे लांडनूं तहसील लांडनूं जिला नागौर
5. सत्यनारायण पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू

.....गौण रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 4.8.2011 ग्राम पंचायत कल्याणसर

उपस्थित :–
श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते अपीलान्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13-01-2023

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व इनकी माता रामप्यारी व गौण रेस्पोडेन्ट बालचन्द, सत्यनारायण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 178 तादादी 26 बीघा 5 बिश्वा, खसरा संख्या 247 तादादी 10 बिश्वा, खसरा संख्या 406/202 तादादी 18 बिश्वा कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा नियत है। अपीलान्ट की माता रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलान्ट, उसकी माता रामप्यारी व गौण रेस्पोडेन्ट बालचन्द व सत्यनारायण ने केवल खेत खसरा संख्या 178 तादादी 26 बीघा 5 बिश्वा वाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू में अपनी 1/5–1/5 हिस्सा यानि चारों ने अपनी 4/5 हिस्सा भूमि का हकत्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित कर दिनांक 11.07.2011 को कार्यालय उप पंजीयक बीदासर में पंजीकृत करवाया था। हकत्याग पत्र दिनांक 11.07.2011 के आधार पर पटवारी हल्का कल्याणसर ने नामान्तरण संख्या 543 दिनांक 18.7.2011 को खेत खसरा संख्या 178 तादादी 26 बीघा 5 बिश्वा, खसरा संख्या 247 तादादी 10 बिश्वा, खसरा संख्या 406/202 तादादी 18 बिश्वा कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 13 बिश्वा वाके रोही ग्राम ज्याक का खोलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष दिनांक 4.8.2011 को प्रस्तुत कर तस्दीक कराया। जो गलत एवं शुन्य है। क्योंकि अपीलान्ट, उसकी माता रामप्यारी व गौण रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

व सत्यनारायण ने अपने संयुक्त खातेदारी के केवल खेत खसरा संख्या 178 तादादी 26 बीघा 5 बिश्वा रोही ज्याक में अपनी संयुक्त 4/5 हिस्सा भूमि का हकत्याग किया था। अपीलान्ट वगैरह ने खेत खसरा संख्या 247 तादादी 10 बिश्वा व खसरा संख्या 406/202 तादादी 18 बिश्वा वाके रोही ज्याक में अपनी संयुक्त 4/5 हिस्सा भूमि का हकत्याग नहीं किया था। अपीलान्ट ने दिनांक 30.08.2021 को सरकारी लाभांश प्राप्त करने हेतु अपने खेत की जमाबंदी निकलवाई तब अपीलांट को पता चला की वादगत खेत में अपीलान्ट का नाम ही नहीं है। तब अपीलान्ट को इस गलत खातेदारी अंकन की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले वादगत खेतों के राजस्व रेकार्ड के संबध में कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बिना हकत्याग किये खेत खसरा संख्या 247 व खसरा संख्या 406/202 में अपीलान्ट की हिस्सा भूमि की खातेदारी का नामान्तरण संख्या 543 तस्दीक कर दिया गया। पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 543 को तस्दीक करने से पूर्व मौका की भी जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 543 को तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही अपीलान्ट को कोई साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मनमाने तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरण संख्या 543 को अपीलान्ट की पीठ पीछे एवं षडयंत्र पूर्वक अपीलान्ट की भूमि खसरा संख्या 247 व 406/202 का तस्दीक किया है। उक्त नामान्तरण संख्या 543 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से अपने पक्ष में बाला बाला सम्पूर्ण कार्यवाही कर करवा लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलान्ट के पीठ पीछे की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नामान्तरण को तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 543 की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक एंव विधि विरूद्व होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिंदान्तों के विपरीत तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरण संख्या 543 की जानकारी दिनांक 30.08.2021 को होने पर नकल लेने पर तथा इस विषय पर कानूनी सलाह किये जाने पर वकील साहब की राय के अनुसार उक्त नामान्तरण की कार्यवाही को न्यायालय में प्रस्तुत करने की सलाह पुख्ता मिलने पर उक्त अपील श्रीमानजी के समक्ष जानकारी से प्रस्तुत है। कानूनन दिनांक 4.8.2011 से लेकर दिनांक 30.08.2021 तक की अवधि को माफ नहीं किया गया तो अपीलान्ट अपील पेश करने से वंचित हो जावेगा तथा अपीलान्ट को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति हर्जाने से भी नहीं होगी। नामान्तरण संख्या 543 के गलत रूप से तस्दीक होने की जानकारी दिनांक 30.08.2021 से पूर्व अपीलान्ट को नहीं थी। इसलिए न्याय के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार उक्त नामान्तरण संख्या 543 की कार्यवाही जो अपीलान्ट की पिठ पिछे होने व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक होने तथा अपीलान्ट को कानूनी प्रकिया की जानकारी नहीं होने के कारण तमाम हालात व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त विलंब को माफ नहीं किया गया तो अपीलान्ट को सारवान हानी हो जावेगी एंव अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेगा। अतः जानकारी दिनांक से उपरोक्त अपील श्रीमानजी के समक्ष अवधि भितर प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नामान्तरण संख्या 543 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देना था तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर देना था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही कोई साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से मिलकर नामान्तरण संख्या 543 को अपीलान्ट के पिठ पिछे स्वीकृत किया। जिससे अपीलान्ट को सारवान हानी उठानी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

करेगी। और अपने कानुनी अधिकारों से वंचित हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरती है। उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट अपनी पुस्तेनी खातेदारी भूमि से महरूम हो गया है जिससे अपीलान्ट का हित पूर्णतया प्रभावित हुआ है। खसरा संख्या 247 तादादी 10 बिश्वा के वर्तमान खसरा संख्या 464/247 तादादी 0.0885 हेक्टेयर व खसरा संख्या 463/247 तादादी 0.0379 हेक्टेयर बने है। अपीलान्ट की माता रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है। रामप्यारी के मौजुद के दौरान वादगत भूमि में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा था। रामप्यारी के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व गौण रेस्पोडेन्ट प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। अपीलान्ट ने श्रीमानजी के समक्ष अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर छुट प्राप्त करके यह अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसे अवधि भीतर मानकर सुनवाई की जावे। इस प्रकार अपील अपीलान्ट अवधि भीतर प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत कल्याणसर द्वारा पारित किया गया है जिसके बाबत अपील सुनने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। अपील उचित न्यायशुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। आदि–आदि अंकित कर अपील पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस, गौण रेस्पोडेन्टस को जरीये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 व गौण रेस्पोडेन्टस 4 ता 5 बावजुद तामिल अनुपस्थित। इस कारण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 व गौण रेस्पोडेन्टस 4 ता 5 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 4.8.2011 रोही ग्राम ज्याक की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपीलान्ट वकील की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट का कथन है कि वादगत भूमि में सें खसरा संख्या 406/202 व खसरा संख्या 464/247 का अपीलान्ट व गौण रेस्पोडेन्टस ने कभी हकत्याग पत्र निष्पादित नहीं किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 543 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही नामान्तरण को स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी मनमर्जी से नामान्तरण को स्वीकृत किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कर्तव्य है कि नामान्तरण संख्या 543 को स्वीकृत करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करे। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ऐसा नहीं किया ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 543 को स्वीकृत करने से पूर्व वादगत भूमि पर अपीलान्ट के कब्जा काश्त के बारे में भी जांच नहीं की। वकील अपीलान्ट ने यह भी बताया की वर्तमान खसरा संख्या 464/247 का पूर्व खसरा संख्या 247 तादादी 10 बिश्वा का था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अकेले के नाम से गलत खातेदारी दर्ज होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इस खसरा में सें 3 बिश्वा भूमि को जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र के पुनमचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी तेलाप को विक्रय कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इस खसरा में अपने हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय कर दी है। इस कारण वर्तमान खसरा संख्या 464/247 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम पूर्ण रूप से हटाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तरण संख्या 543 दिनांक 4.8.2011 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा किये गये पंजीकृत हकत्याग पत्र का अवलोकन किया गया। पंजीकृत हकत्याग पत्र में अपीलान्ट, उसकी माता रामप्यारी व गौण रेस्पोडेन्टस ने रोही

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

ग्राम ज्याक के खेत खसरा संख्या 178 तादादी 6.6393 हेक्टेयर भूमि में अपनी 4/5 हिस्सा भूमि का हकत्याग किया था। लेकिन पटवारी हल्का ने उस खाते में दर्ज समस्त खसरों का नामान्तरण रेस्पोडेन्टस के पक्ष में कर दिया जो कि नियमानुसार गलत है। संबंधित भू.अ. निरिक्षक व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कर्तव्य था कि वो पटवारी द्वारा पेश किये गये नामान्तरण की अच्छी तरह जांच पडताल करके प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर फिर नामान्तरण को स्वीकृत करे। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भी अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया है जो कानूनी रूप से उचित प्रतित नहीं होता है। क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 543 को गलत रूप से स्वीकृत किया है जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों का हनन हुआ है ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा की गई कार्यवाही कानून सम्मत नहीं है। इस कारण जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त मतानुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 543 दिनांक 4.8.2011 ग्राम पंचायत कल्याणसर निरस्त किये जोन योग्य है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने यह भी बताया कि जमाबंदी संवत 2062–2065 में महावीर, मदनलाल पिता श्रीकृष्ण का नाम दर्ज था लेकिन नवीन जमाबंदी संवत 2066–2069 बनाते समय महावीर, मदनलाल पिता श्रीकृष्ण का नाम छुट गया जिनको वापिस जोडा जावे। वकील अपीलान्ट ने बताया की अपीलान्ट की माता रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है। दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नई जमाबंदी बनाते समय इन दोनों का नाम लिपिकिय त्रुटि से छुट गया। इन दोनों का नाम वादगत भूमि में जोडा जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर वादगत भूमि रोही ग्राम ज्याक के खसरा संख्या 178 तादादी 6.6393 हेक्टेयर भूमि में सें 5/7 हिस्सा भूमि प्रेमसुख पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ज्याक के नाम व शेष 2/7 हिस्सा भूमि महावीर, मदनलाल पिता श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ज्याक के नाम ब.हि.ब. व खसरा संख्या 406/202 तादादी 0.2276 हेक्टेयर भूमि प्रेमसुख, द्वारकाप्रसाद, बालचन्द, सत्यनारायण, महावीर, मदनलाल पुत्रगण श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ज्याक के नाम ब.हि.ब. व खसरा संख्या 464/247 तादादी 0.0885 हेक्टेयर भूमि द्वारकाप्रसाद, बालचन्द, सत्यनारायण, महावीर, मदनलाल पुत्रगण श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण निवासी ज्याक के नाम ब.हि.ब. दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का आदेश दिया जाता है। केवल प्रेमसुख की हिस्सा भूमि बीओबी शाखा सुजानगढ के रहन दर्ज की जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned with CamScanner